भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2766

उत्तर देने की तारीख: 08.08.2024

बंद एमएसएमई संबंधी सर्वेक्षण

2766. **डॉ. राजेश मिश्राः**

श्री ए. राजाः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने बंद पड़े सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) का कोई सर्वेक्षण किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) एमएसएमई द्वारा उत्पन्न रोजगार का विशेष रूप से तमिलनाडु में राज्य-वार/जिले-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान बंद एमएसएमई को सुदृढ़ करने, वित्तीय सहायता देने, पुनर्जीवित करने और पुनर्निर्मित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने विशेष रूप से वित्तीय संस्थानों के साथ काम करते समय एमएसएमई प्रतिनिधियों के सामने आने वाली कठिनाइयों के संबंध में उनके साथ कोई चर्चा/संवाद शुरू किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) बंद पड़े एमएसएमई के लिए अभी तक कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ख) एमएसएमई द्वारा विशेष रूप से तमिलनाडु में, राज्य/जिला-वार सृजित रोजगार का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(ग) एमएसएमई को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने एमएसएमई का पुनरोद्धार और पुनर्निर्माण करने के लिए कई कदम उठाए हैं। कुछ उपाय निम्नानुसार हैं:

- एमएसएमई सहित व्यवसायों के लिए 5 लाख करोड़ रु. की आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। यह स्कीम दिनांक 31.03.2023 तक परिचालित थी।
- 200 करोड़ रु. तक की खरीद के लिए कोई वैश्विक निविदा नहीं।
- एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए नए संशोधित मानदंड।
- दिनांक 01.07.2020 से व्यवसाय करने की आसानी हेतु एमएसएमई के लिए "उद्यम पंजीकरण";
- आत्मनिर्भर भारत कोष के माध्यम से 50,000 करोड़ रु. का इक्विटी अनुप्रेरण।
- एमएसएमई की समस्या के समाधान और पथ-प्रदर्शन सहित ई-गवर्नेंस के कई पहलुओं को सम्मिलित करने के लिए जून, 2020 में एक ऑनलाइन पोर्टल “चैंपियंस” का शुभारंभ।
- दिनांक 2 जुलाई, 2021 से खुदरा एवं थोक विक्रेताओं का एमएसएमई के रूप में समावेश।
- एमएसएमई की स्थिति में ऊपर की ओर बदलाव की स्थिति में 3 वर्षों के लिए कर-रहित लाभों का विस्तार।
- प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) को औपचारिक दायरे में लाने के लिए दिनांक 11.01.2023 को उद्यम सहायता मंच (यूएपी) का शुभारंभ।

(घ) और (ङ) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय एमएसएमई, उद्योग संघों, सदस्य ऋण संस्थानों और अन्य हितधारकों आदि के साथ संपर्क करता है। भारत सरकार ने औपचारिक ऋण, रोजगार सृजन, सरकार को सीधी बिक्री, गुणवत्तापूर्ण विनिर्माण, सूक्ष्म-ऋण तक पहुंच, उनके समक्ष उत्पन्न जागरूकता की कमी जैसी कठिनाइयों को दूर करने के लिए देश भर में कई उपाय किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी स्कीम (सीजीटीएमएसई), एमएसएमई कार्य-निष्पादन का उत्थान और गतिवर्धन (रैम्प) स्कीम, आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) निधि स्कीम, खरीद और विपणन सहायता स्कीम, एमएसएमई को सहायता प्रदान करने के लिए एमएसएमई चैंपियन स्कीम आदि भी शामिल हैं। विगत दो वित्तीय वर्षों (2022-24) के दौरान कम लागत के साथ 2.00 लाख करोड़ रु. का अतिरिक्त ऋण प्रदान करने के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों (सीजीटीएमएसई) के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट के कोष में 9,000 करोड़ रु. का निवेश किया गया है। विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत एमएसएमई मंत्रालय एमएसएमई-विकास कार्यालय (एमएसएमई-डीएफओ), सदस्य ऋण संस्थानों आदि के सहयोग से एमएसई और उद्योग संघों के लिए कार्यशालाओं/परस्पर संवाद सत्रों का आयोजन करता है। इसके अतिरिक्त, सीजीटीएमएसई आरबीआई द्वारा आयोजित नेशनल मिशन फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ बैंकर्स (एनएएमसीएबी) में कार्यक्रमों के दौरान स्कीम की जानकारी का प्रसार करके सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी स्कीम के बारे में जागरूकता भी सृजित कर रहा है।

****

अनुबंध

दिनांक 01.07.2020 से दिनांक 05.08.2024 तक उद्यम और यूएपी के अंतर्गत अभिलेखित राज्य वार कुल रोजगार		
क्र. सं.	**राज्य**	**रोजगार**
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	238,517
2	आंध्र प्रदेश	9,653,810
3	अरुणाचल प्रदेश	158,389
4	असम	4,141,379
5	बिहार	8,987,952
6	चंडीगढ़	329,595
7	छत्तीसगढ़	2,624,305
8	दिल्ली	6,420,851
9	गोवा	346,818
10	गुजरात	11,889,335
11	हरियाणा	6,118,774
12	हिमाचल प्रदेश	997,621
13	जम्मू और कश्मीर	2,284,225
14	झारखंड	3,736,578
15	कर्नाटक	16,554,052
16	केरल	4,215,546
17	लद्दाख	47,285
18	लक्षद्वीप	4,354
19	मध्य प्रदेश	8,850,342
20	महाराष्ट्र	22,664,370
21	मणिपुर	557,155
22	मेघालय	150,036
23	मिजोरम	174,761
24	नागालैंड	177,196
25	ओडिशा	7,486,953
26	पुदुचेरी	285,671
27	पंजाब	6,236,742
28	राजस्थान	11,779,808
29	सिक्किम	67,029
30	तमिलनाडु	**21,960,727**
31	तेलंगाना	11,623,825
32	दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव	217,242
33	त्रिपुरा	703,421
34	उत्तर प्रदेश	20,041,584
35	उत्तराखंड	1,793,071
36	पश्चिम बंगाल	14,153,321
	कुल :-	**207,672,640**

तमिलनाडु राज्य हेतु दिनांक 01.07.2020 से दिनांक 05.08.2024 तक उद्यम और यूएपी के अंतर्गत अभिलेखित जिले वार कुल रोजगार		
क्र. सं.	**जिले का नाम**	**रोजगार**
1	अरियालूर	128,167
2	चेंगलपट्टू	480,897
3	चेन्नई	2,644,689
4	कोयंबत्तूर	1,805,534
5	कुड्डालोर	851,681
6	धर्मपुरी	489,475
7	डिंडीगुल	480,510
8	इरोड	699,414
9	कल्लाकुरिची	142,774
10	कांचीपुरम	1,029,223
11	कन्याकुमारी	551,471
12	करूर	259,516
13	कृष्णागिरी	912,310
14	मदुरै	836,092
15	माइलादुत्रयी	93,907
16	नागपट्टिनम	146,907
17	नमक्कल	499,949
18	पेरम्बलुर	115,138
19	पुदुक्कोट्टई	303,750
20	रामनाथपुरम	189,786
21	रानीपेट	187,135
22	सलेम	953,563
23	शिवगंगा	227,429
24	तेनकासी	168,510
25	तंजावुर	637,101
26	नीलगिरी	294,472
27	थेनी	284,595
28	तिरुवल्लुर	907,928
29	थिरुवरुर	667,514
30	तिरुचिरापल्ली	606,144
31	तिरुनेलवेली	413,752
32	तिरुपथुर	227,816
33	तिरुपूर	1,364,899
34	तिरुवन्नामलाई	392,475
35	तूतीकोरिन	353,342
36	वेल्लोर	582,731
37	विल्लुपुरम	506,935
38	विरुधुनगर	523,196
कुल :-		**21,960,727**